

भाग-1
Part-I

सेवा-मुक्ति पुस्तिका जारी करने की शर्तें
CONDITIONS FOR ISSUE OF DUPLICATE
DISCHARGE BOOK

1. (क) इस सेवा-मुक्ति पुस्तिका को सावधानीपूर्वक रखा जाए। यदि यह खो गई तो दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी। केवल विशेष परिस्थितियों में और कमोडोर, ब्यूरो ऑफ सेलर्स, बम्बई की इच्छा से, दूसरा प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।
(a) This discharge Book must be preserved carefully. If this is lost, A DUPLICATE COPY WILL NOT BE ISSUED. Only in exceptional circumstances and at the discretion of the Commodore, Bureau of Sailors, Bombay a duplicate certificate can be issued.
- (ख) इस प्रमाण-पत्र के खो जाने की रिपोर्ट नजदीक के पुलिस स्टेशन में की जाए और रिपोर्ट की प्रति (एफ आई आर) प्राप्त कर ली जाए।
(b) Loss of this certificate is to be reported to the nearest Police Station and a copy of FIR obtained.
- (ग) इस प्रमाण-पत्र को पाने वाले व्यक्ति को, इसे अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। वह या तो इसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दे या डाक से कमोडोर, ब्यूरो ऑफ सेलर्स, बम्बई के पास भेज दे।
(c) A finder of this certificate has no right to retain it. He should either deposit it to the nearest Police Station or post this to the Commodore, Bureau of Sailors, Bombay.

Name... HARDYAL SINGH
Bank... CHIEF ERA
O. No. 203336-B
Specimen Signature [Signature]

KSB. Census 'T' Card No. 480336-P 00270
Issued on Dt. 8/19/1992 at SRL No. 1735

RB
Zilla Sainik Welfare Officer
for
THANE